

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा




नानुलाल परमार पिता लालजी परमार
जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी
जिला बांसवाड़ा

बनाम

मणीलाल खराडी पिता कचरू खराडी
जाति भील निवासी बोरी तहसील
गढ़ी जिला बांसवाड़ा

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर. टी. एक्ट.

प्रकरण संख्या: 2021/106

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
09.6.2021	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी नानुलाल परमार पिता लालजी परमार जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रतिवादी मणीलाल खराडी पिता कचरू खराडी जाति भील निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.7.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी गढ़ी </p> <p>15-7-21) पत्रावली पेश हुई। वादी मणिमाल खराडी (पति) के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुई। प्रतिवादी (मणिमाल खराडी) प्रकरण में वादी मणिमाल खराडी (पति) को सम्मन जारी कर अपरै सुकस इजाजत मिले गये। आर. प्रकरण में कार्यवाही इसी बेर में पर ड्रीप की जाती है। पत्रावली केसल सुमार डेक्कड दारिजल दफात है।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।</p> <p style="text-align: right;"> नोट (2)  Id.  </p>

